28/1/2022

पत्रावली पेश हुई। मुकदमा उपD। वादि 2022/87 अनवान अनन्त विज्ञानसिंह v/s कंकुबर में पारित आदेश से आवेदक को भी रास्ता उसी रूट में पड़ने से प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार आवेदक को रास्ता वादि 2022/87 अनवान अनन्त विज्ञानसिंह v/s v/s कंकुबर के पारित निर्णय से प्राप्त हो जाने से पृथक से रास्ता आदेश की आवश्यकता नहीं रहती है। लिहाजा प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

[signature] SDO